


**निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
264वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2024**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 264वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री रणवीर प्रसाद, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा० नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आ०वि०परिषद	सदस्य
4.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आ०वि०परिषद	सदस्य
5.	श्री डी०वी० सिंह, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,	सदस्य
7.	श्री संजीव कश्यप, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7.	डा० मो० असलम अंसारी, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।	सदस्य
8.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
264/1	परिषद की 263वीं बैठक दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 263वीं बैठक दिनांक 09 नवम्बर 2023, के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
264/2	परिषद की 263वीं बैठक दिनांक 09 नवम्बर, 2023 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 263वीं बैठक दिनांक 09 नवम्बर 2023, की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
264/3	परिषद कार्मिकों/ परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-07-23 से 46% दर से महंगाई भत्ता/राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा प्रशासनिक व्यय पर हो रहे व्यय का परीक्षण कराने के साथ ही उसे कम किये जाने के निर्देश दिये गये।

264/4	अधिकासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियमित प्रोन्नति किये जाने हेतु अहंकारी सेवा अवधि 05 वर्ष की सीमा में 06 माह शिथिल किये जाने तथा श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, अधिकासी अभिन्यता की अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रकरण नं. लो. त. नि. वि. वि. वि. निष्पत्ति के अनुसार पुनर्परीक्षण के प्रस्ताव के 
264/5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभाग/सैन्य विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालयों के आई0टी0 सेक्टर के शीर्ष पद पर नियमित कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए अनुबंधित किये जाने हेतु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का पद सृजित करते हुए तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/6	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री मनोज राव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उनकी पेंशन से 2 प्रतिशत की धनराशि काटे जाने का दिये गये दण्ड का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर विस्तृत आख्या के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
264/7	परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्क्लेवों में विभिन्न श्रेणी	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	के रिक्त फ्लैटों के निस्तारण हेतु विशेष पंजीकरण योजना (द्वितीय चरण) के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।		
264/8	परिषद की ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या में मठ/चैरिटेबिल ट्रस्ट एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं हेतु अनुमोदित पात्रता की नियम/शर्तों में पुनः संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इंडियन कम्पनीज एक्ट 2013 में नाट फार प्राफिट कम्पनी के रूप में पंजीकरण की पात्रता को समाप्त करते हुए, शेष प्रस्ताव अनुमोदित।
264/9	परिषद की ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या में मठ / आश्रम हेतु खोले गए पंजीकरण में 12A Certificate के आधार पर भूखंड आवंटन को मा0 परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/10	परिषद की सत्यवानपुरी कटरा योजना, बस्ती में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-328/3 एवं 328/4 के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/11	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी0एस0-2 के द्वितीय फेस के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाले व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रकरण के आवंटन की नियम व शर्तें वर्तमान की मानी जायेंगी एवं गणना आदि का भी परीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
264/12	मा0 निदेशक मण्डल की 263वीं बैठक दिनांक 09-11-	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि विशेष ई-नीलामी में प्राप्त एकल



	2023 के मद संख्या-263/7 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुपालन में सम्पन्न विशेष ई-नीलामी दिनांक 27-12-2023 को सम्पन्न ई-नीलामी पर निर्णय के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव।		बोलियों के सापेक्ष कोई नवीन बोली प्राप्त नहीं हुयी है, उनकी पुनः नीलामी कराये जाने के निर्देश दिये गये।
264/13	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-डी 2253 के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही परीक्षण कर लिया जाए कि इस प्रकार के और कितने प्रकरण हैं, में तत्काल नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।
264/14	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ से लगी हुई Metro Rail के फलस्वरूप TOD (Transit Oriented Development) से आच्छादित क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र (Influence Zone) को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/15	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में RRTS (Regional Rapid Transport System) के फलस्वरूप TOD से अच्छादित क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र टी0ओ0डी0(ट्रान्जिट रिपण्टेड डेवलपमेंट) (Influence Zone) के अन्तर्गत चिन्हांकित क्षेत्र को महायोजना गाजियाबाद 2031 में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

264/16	Online Building Plan Approval System (OBPAS) प्रक्रिया में निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति एवं शमन सम्बन्धी शुल्कों को शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/17	परिषद की योजनाओं में उपविधि के अध्याय-26 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/18	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित) में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
264/19	वित्तीय वर्ष 2023-24 में मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-21 में M.S.M.E. योजना के अन्तर्गत नियोजित लघु गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्डों की विकसित भूमि दर के निर्धारण के सम्बन्ध में।	मूल्यांकन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में आवासीय दर का 1.5 गुना दर के आधार पर पंजीकरण खोला जाए। तदोपरान्त अवशेष बचे भूखण्डों को आरक्षण के हिसाब से नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
264/20	नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, मोहनलालगंज, लखनऊ के धारा-28 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/21	नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	3, मोहनलालगंज, लखनऊ के धारा-28 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।		
264/22	नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, मोहनलालगंज, लखनऊ के धारा-28 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
264/23	परिषद मुख्यालय परिसर में पुराने भवन के अनुपयोगी भाग को तोड़कर नये भवन के निर्माण कार्य हेतु सैधान्तिक सहमति के संबंध में।	अनुरक्षण अनुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में सैधान्तिक सहमति प्रदान की गयी।
264/24	वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों के अनुमोदन के संबंध में।	लेखानुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित। बैलेन्सशीट/वार्षिक लेखों का परीक्षण आवास आयुक्त की अध्यक्षता में परिषद की एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराया जाए। भविष्य में समिति की Recommendation के साथ बोर्ड में प्रस्तुत किया जाए।

अनुमोदित,
 24/1/26
 (नितिन रमेश गोकर्ण)
 अध्यक्ष